

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2015/2010/जयपुर

अपील संख्या 2016/2010/जयपुर

मैसर्स टाईमेक्स सेल्स कारपोरेशन

जयपुर

अपीलीर्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी

प्रतिकरापवंचन, राजस्थान—तृतीय, जयपुर

प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

श्री मनोहरपुरी, सदस्य

उपस्थितः

श्री विवेक सिंघल

अभिभाषक

श्री एन.के.बैद

उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक: 18.12.2014


प्रार्थी की ओर से


अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

ये दोनों अपीलें अपीलीर्थी व्यवहारियों की ओर से उपायुक्त(अपील्स)द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 36 व 35/अपील्स—द्वितीय/आरवीएटी/जयपुर/एन/2009-10 में पृथक—पृथक पारित आदेश दिनांक 13.09.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान—तृतीय, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 25,55 व 61 के अन्तर्गत वर्ष 2008-2009 व 2007-08 के पृथक—पृथक आदेश दिनांक 13.03.2010 को पारित करते हुए आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियाँ आरोपित की हैं, जिन्हें जिसे यथावत रखकर अपीलें अस्वीकार की हैं।

प्रकरणों के संक्षेपि तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 21.10.2010 को किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा हॉस्पिटल फर्नीचर विक्रय किया गया है, जिसकी बिक्री को अधिनियम की शिड्यूल IV के अधीन मेडिकल इक्यूपमेंट/डिवाईसेज की श्रेणी में मानते हुए उसके द्वारा 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त बिक्रीत माल को अधिनियम की शिड्यूल IV के अधीन नहीं मानकर अतिरिक्त आयुक्त (वैट एण्ड आईटी) वाणिज्यिक कर, राजस्थान जयपुर द्वारा अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत दिये गये निर्णय दिनांक 14.12.2009 के प्रकाश में अधिनियम के शिड्यूल V के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानकर 8.5 प्रतिशत की दर से कर, ब्याज एवं शास्तियाँ निम्न तालिका के आरोपित की हैं :—





अपील संख्या	कर निधारण वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति
2015 / 10	2008-09	1,24,250/-	19,880/-	2,48,500/-
2016 / 10	2007-08	56,447/-	15,805/-	1,12894/-

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त तालिका के अनुसार आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों को अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2010 पारित करते हुए आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों को यथावत रखा है। दोनों अपीलें एक व्यवहारी की होने एवं विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियों पृथक-पृथक पत्रावलियों पर रखी जाये।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत वस्तु मेडिकल इक्यूपमेंट/डिवाईस नहीं मानते हुए इन्हें हॉस्पिटल फर्नीचर मानते हुए अन्तर कर, ब्याज एवं शास्तियों आरोपित की है, जो अविधिक है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में मैसर्स विकांत इण्डस्ट्रीज, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-प्रथम, जयपुर (1989) 5 आर टी जे एस 289 व सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, वृत-बी, जयपुर बनाम मैसर्स एटलस सर्जिकल कम्पनी (1997) 107 एस टी सी 296 को उद्धरित करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त उद्धरित प्रकरणों में स्ट्रेचर, बेडसाईड लॉकर, व्हील चेयर एवं आपरेटिंग टेबल्स आदि को इक्वीपमेंट की श्रेणी में माना है। अतः अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत वस्तु को हॉस्पिटल फर्नीचर मानकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर, ब्याज एवं शास्तियों आरोपित की है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत वस्तुओं को आम जनता द्वारा मेडिकल इक्यूपमेंट/डिवाईस के रूप में जाना जाता है व इनको खरीदने के लिए वह फर्नीचर के व्यवसाय स्थल पर नहीं जाता है अपितु चिकित्सा उपकरण के व्यवसाय स्थल पर जाता है। उन्होंने यह भी कथन किया कि राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग ने भी अपने रेट कांट्रैक्ट में उक्त वर्णित वस्तुओं को इक्यूपमेंट/इन्स्ट्रूमेंट के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अविधिक बताते हुए कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत समस्त माल का इन्द्राज लेखा पुस्तकों में किया गया है और किसी भी प्रकार संव्यवहार छिपाया नहीं गया है और समस्त संव्यवहारों विक्रय विवरणों में घोषित किया गया है इसलिए केवल मत भिन्नता के आधार पर कर चोरी का वाद बनाया जाकर अधिनियम की धारा 61 के

—3—अपील संख्या 2015 व 2016 / 2010 / जयपुर


अन्तर्गत शास्त्रियों आरोपित करना अविधिक है। उन्होंने राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 2118 से 2120 / जयपुर मैसर्स अपोलो सर्जिकल्स, जयपुर बनाम उपायुक्त(अपील्स) वाणिज्यिक कर जयपुर व वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन—तृतीय, राज. जयपुर एवं अपील संख्या 2288 से 2290 / 2011 / जयपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन—तृतीय, राज. जयपुर बनाम मैसर्स अपोलो सर्जिकल्स, जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 17.10.2012 को उद्धृत करते हुए कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त कर प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।


प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान उद्धृत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 21.10.2010 को किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा हॉस्पिटल फर्नीचर विक्रय किया गया है, जिसकी बिक्री को अधिनियम की शिड्यूल IV के अधीन मेडिकल इक्यूपमेंट / डिवाईसेज की श्रेणी में मानते हुए उसके द्वारा 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त बिक्रीत माल को अधिनियम की शिड्यूल IV के अधीन नहीं मानकर अतिरिक्त आयुक्त (वैट एण्ड आईटी) वाणिज्यिक कर, राजस्थान जयपुर द्वारा अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत दिये गये निर्णय दिनांक 14.12.2009 के प्रकाश में अधिनियम के शिड्यूल V के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानकर 8.5 प्रतिशत की दर से कर, ब्याज एवं शास्त्रियों आरोपित की गई, जिनको अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर उन्होंने यथावत रखा है।

इन प्रकरणों में मुख्य विवादित बिन्दु यह यह है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विनिर्मित एवं बिक्रीत उत्पाद मेडिकल इक्विपमेंट / डिवाईसेज के रूप में वेट अधिनियम की अनुसूची—IV के मद संख्या 86 की प्रविष्टि के अन्तर्गत आने से इन पर 4 प्रतिशत की दर से कर देय होगा अथवा हॉस्पिटल फर्नीचर की श्रेणी में आने से वेट अधिनियम की अनुसूची—V के अन्तर्गत सामान्य दर 12.5 प्रतिशत कर देयता होगी।

इस सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रोद्धरित किये गये माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्तमैसर्स इम्पीरियल सर्जिको इण्डस्ट्रीज





(1969) 23 एस.टी.सी. 201 के प्रकरण में 'फर्नीचर' शब्द की विवेचना करते हुए सम्बन्धित व्यवहारी द्वारा विक्रय किये गये बैड्स (फाउलर बैड) सहित, ऑपरेशन टेबल, बैड साईड लॉकर्स, ड्रेसिंग केरिजेज, इन्स्ट्रूमेंट केबिनेट, रिवॉल्विंग स्टूल्स, इन्स्ट्रूमेंट टेबल व ट्रॉली एवं सेल्फ प्रोपेलिंग चेयर को मेटल फर्नीचर नहीं मानते हुए हॉस्पिटल इकिवपमेंट होना अवधारित किया गया है। माननीय राजस्थान विक्रय कर अधिकरण के अभिनिर्णय (1989) 5 आर.टी.जे.एस. 289 में सम्बन्धित व्यवहारी द्वारा विनिर्मित एवं विक्रय किये गये उत्पाद स्टेनलेस स्टील, रिवॉल्विंग स्टूल, बैड स्टेंड, इन्स्ट्रूमेंट केबिनेट, अटेंडेन्ट बैंच, ओवर बैड टेबल, बैड साईड लॉकर एवं बैड साईड स्क्रिम को 'फर्नीचर' नहीं माना गया है। इसी प्रकार माननीय राजस्थान कराधान अधिकरण के न्यायिक दृष्टान्त (1997) 107 एस.टी.सी. 296 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :—

" As we have practically two conflicting decisions one of the Kerala High Court in E.V. Industries case [1974] 33 STC 308, and the other of the Allahabad High Court in Imperial Surgico Industries case [1969] 23 STC 201, we have no hesitation in opting for the construction placed on the meaning of the word "furniture" by the Allahabad High Court. In common parlance the items in question cannot be regarded as furniture and are items which hospitals and medical establishments must necessarily keep for the cure and the care of patients out of functional necessity and are not intended to make hospitals and medical establishments appear to be well-appointed. The sale of the items in question would therefore not be exigible to tax as "metal furniture" but would be at the general rate."

इस सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में भी कराधान के मामलों में common parlance का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी के विनिर्मित एवं बिक्रीत उत्पादों में संव्यवहार करने वालों की commercial parlance में प्रचलित सोच, प्रयोजन एवं उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए इनका वर्गीकरण किया जाकर कर देयता निर्धारित करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अग्रिम अभिवाक किया गयाकि ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विनिर्मित एवं विक्रय किये गये उत्पादों के निर्माण, प्रयोजन एवं उपयोग बाबत common commercial parlance के सिद्धान्त की विवेचना किये बिना इनको हॉस्पिटल फर्नीचर मानते हुए इन पर अन्तर कर व ब्याज का आरोपण उचित नहीं माना जा सकता।

इसी क्रम में कथन किया कि प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2009) 11 एस.सी.सी. 687 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 तथा कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठों के विभिन्न

—5—अपील संख्या 2015 व 2016/2010/जयपुर

अभिनिर्णयों के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध आलौच्य अवधियों में वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत अन्तर कर की दोगुनी राशि शास्ति के रूप में आरोपित किया जाना भी विधिसम्मत नहीं है।

उपरोक्त उद्धरित निर्णय में राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय के तथ्य एवं हस्तगत प्रकरण के तथ्य एक समान हैं, जिसमें हस्तगत प्रकरण से सम्बन्धित विचाराधीन तथ्यों पर समग्र रूप से निष्कर्ष दिया है। इस कारण हस्तगत प्रकरण उपरोक्त उद्धरित निर्णय से आच्छादित है। अतः विचाराधीन दोनों प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते हैं कि उनके द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त मैसर्स इम्पीरियल सर्जिको इण्डस्ट्रीज, लखनऊ बनाम कमिशनर, वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तर प्रदेश (1969) 23 एस टी सी 201, माननीय करेल उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त स्टेट आफ उडीसा बनाम मैसर्स इपीटाटा रिफैक्ट्रीज लिमिटेड (1993) 91 एस टी सी 561 एवं राजस्थान कराधान अधिकरण के न्यायिक दृष्टान्त मैसर्स विकांत इण्डस्ट्रीज, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन—प्रथम, जयपुर (1989) 5 आर टी जे एस 289 व सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, वृत—बी, जयपुर बनाम मैसर्स एटलस सर्जिकल कम्पनी (1997) 107 एस टी सी 296 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोय अवधि में विनिर्मित एवं विक्रय किये गये उत्पादों के वर्गीकरण का उचित रूप से निर्धारण करते हुए करारोपण बाबत पुनः विधि सम्मत आदेश पारित किये जावें।

निर्णय सुनाया गया ।

18.12.2014

(मनोहर पुरी)

सदस्य

(सुनील शर्मा)

सदस्य